**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2933**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**कारागृहों की क्षमता**

**2933. श्री तिरुची शिवाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) कौन-कौन से कारागृहों में क्षमता से अधिक कैदी हैं तथा ऐसे कारागृहों की संख्या कितनी है; और**

**(ख) ऐसे कारागृहों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): उन जेलों जहां अधिभोग दर 100 प्रतिशत से अधिक है, के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि-4 के अनुसार ‘कारागार’ राज्य का विषय है। कारागारों का प्रशासन और प्रबंधन प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होता है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर जारी विभिन्न परामर्शी-पत्रों के माध्यम से कारागार प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकारों को नियमित दिशा-निर्देश प्रदान करती रहती है।

भारत सरकार ने कारागारों में अधिक भीड़ को कम करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक और विधिक उपाय किए हैं। की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं: (i) फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना, (ii) कारागारों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के माध्यम से कारागारों की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण, (iii) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय आयोग का गठन आदि।

**-2-**

**राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्या 2933**

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 के माध्‍यम से प्‍ली बार्गेनिंग की अवधारणा शुरू करना और उस अधिकतम अवधि, जिसके लिए किसी विचारणाधीन कैदी को निरूद्ध किया जा सकता है, के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता में एक नई धारा अर्थात 436-क शामिल करना भारत सरकार द्वारा जेलों में अत्‍यधिक भीड़ को कम करने के संबंध में की गई कुछ विशेष पहलें हैं।

समय-समय पर जारी परामर्शी-पत्रों के अतिरिक्‍त, गृह मंत्रालय ने मई, 2016 में सभी राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को आदर्श कारागार मैनुअल 2016 भी अग्रेषित किया था। कारागार मैनुअल में ‘विचारणाधीन कैदियों’ के संबंध में एक पृथक अध्‍याय है, जिसमें कैदियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं अर्थात् विधिक सुरक्षा, अधिवक्‍ताओं के साथ साक्षात्‍कार, वकालतनामा पर हस्‍ताक्षर करना, सरकारी लागत पर विधिक सहायता के लिए न्‍यायालयों को आवेदन के संबंध में मार्ग दर्शन प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण(नालसा) भी पूरे भारत की जेलों में चल रहे अपने विधिक सेवा क्‍लीनिकों के माध्‍यम से सभी विचाराधीन कैदियों को नि:शुल्‍क विधिक सेवाएं प्रदान करता रहा है। नालसा भी दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्‍ली बार्गेनिंग के प्रावधानों में निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत आने वाले मामलों के शीघ्र निपटान के संबंध में प्‍ली बार्गेनिंग को बढ़ावा दे रहा है। इन सभी उपायों का उद्देश्‍य कारागारों में भीड़-भाड़ के मामले से निपटने के लिए राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना है।

\*\*\*\*\*\*\*

-3-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **अनुलग्‍नक**  **दिनांक 21.03.2018 का राज्‍य सभा अता. प्र. सं. 2933** | | | | | | | | | | | |
| **दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार उन भारतीय जेलों, जहां अधिभोग दर 100 प्रतिशत से अधिक है, में क्षमता, कैदियों की संख्या और अधिभोग दर की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची** | | | | | | | | | | | |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **जेलों की कुल संख्या** | **उपलब्ध क्षमता** | | | **कैदियों की संख्या** | | | **अधिभोग दर  (% में)** | | |
| **पुरुष** | **स्त्री** | **कुल** | **पुरुष** | **स्त्री** | **कुल** | **पुरुष** | **स्त्री** | **कुल** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** |
| 1 | अरूणाचल प्रदेष | 2 | 188 | 24 | 212 | 208 | 6 | 214 | 110.6 | 25.0 | 100.9 |
| 2 | असम | 31 | 7903 | 684 | 8587 | 8313 | 298 | 8611 | 105.2 | 43.6 | 100.3 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 30 | 9285 | 528 | 9813 | 17649 | 982 | 18631 | 190.1 | 186.0 | 189.9 |
| 4 | गुजरात | 27 | 11419 | 973 | 12392 | 11781 | 657 | 12438 | 103.2 | 67.5 | 100.4 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 14 | 1736 | 144 | 1880 | 2119 | 73 | 2192 | 122.1 | 50.7 | 116.6 |
| 6 | झारखंड | 29 | 14680 | 793 | 15473 | 16385 | 788 | 17173 | 111.6 | 99.4 | 111.0 |
| 7 | कर्नाटक | 102 | 12663 | 1096 | 13759 | 14268 | 575 | 14843 | 112.7 | 52.5 | 107.9 |
| 8 | केरल | 54 | 5773 | 417 | 6190 | 6854 | 219 | 7073 | 118.7 | 52.5 | 114.3 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 123 | 26027 | 1650 | 27677 | 36340 | 1309 | 37649 | 139.6 | 79.3 | 136.0 |
| 10 | महाराष्ट्र | 154 | 24484 | 1819 | 26303 | 30010 | 1428 | 31438 | 122.6 | 78.5 | 119.5 |
| 11 | मेघालय | 5 | 575 | 55 | 630 | 821 | 12 | 833 | 142.8 | 21.8 | 132.2 |
| 12 | पंजाब | 26 | 20774 | 1765 | 22539 | 21421 | 1177 | 22598 | 103.1 | 66.7 | 100.3 |
| 13 | राजस्थान | 126 | 18656 | 1223 | 19879 | 19699 | 664 | 20363 | 105.6 | 54.3 | 102.4 |
| 14 | सिक्किम | 2 | 206 | 40 | 246 | 320 | 4 | 324 | 155.3 | 10.0 | 131.7 |
| 15 | उत्तर प्रदेश | 70 | 54883 | 3228 | 58111 | 91551 | 3785 | 95336 | 166.8 | 117.3 | 164.1 |
| 16 | उत्तराखंड | 11 | 3255 | 123 | 3378 | 4026 | 174 | 4200 | 123.7 | 141.5 | 124.3 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 59 | 19523 | 1423 | 20946 | 21247 | 1722 | 22969 | 108.8 | 121.0 | 109.7 |
| 18 | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 50 | 10 | 60 | 119 | 1 | 120 | 238.0 | 10.0 | 200.0 |
| 19 | दिल्ली | 12 | 7418 | 400 | 7818 | 13506 | 552 | 14058 | 182.1 | 138.0 | 179.8 |